156

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 925—दो/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 28—05—2007 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर, श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 9/2006—07/निगरानी

.....

1— गजानन्द राठौर पुत्र श्री घनश्याम राठौर
निवासी—कस्बा श्योपुर, तहसील व जिला—श्योपुर
2— मो0 सिद्दीक पुत्र श्री सरफुद्दीन
निवासी—कस्बा श्योपुर, तहसील व जिला—श्योपुर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 21-12-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर, श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28—05—2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक गज़ानन्द राठौर पुत्र घनश्याम राठौर एवं मो0 सिद्धीक पुत्र सरफद्दीन ने अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, श्योपुर के समक्ष शिकायती आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया । आवेदकगण ने अपने शिकायती आवेदन—पत्र पर उल्लेख किया कि कस्बा श्योपुर के शमशान घाट की 16 बीघा भूमि का सीमांकन कर अवैध अतिक्रमण हटाये जावे। उक्त शिकायत के क्रम में शमशान की भूमि के सीमांकन के निर्देश दिये गये। तहसीलदार श्योपुर ने अपने प्रकरण क्रमांक 55/06—07/अ—12 में दिनांक 11.08.2006 द्वारा दल गठित कर शमशान की कस्बा श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 803/1 805,

806 815, 817 का सीमांकन कर, सीमांकन प्रतिवेद दिनांक 16.08.06 को तहसीलदार, श्योपुर को प्रेषित किया। उक्त सीमांकन के विरूद्ध आवेदकगण ने न्यायालय कलेक्टर, श्योपुर के समक्ष भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 9/2006–07/निगरानी पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 28.05.2007 द्वारा निरस्त किया गया । कलेक्टर, श्योपुर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रश्नाधीन आदेश में यह माना है कि सीमांकन के पूर्व आवेदकगण को राजस्व निरीक्षक द्वारा सूचना दी गई है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड में संलग्न सूचना पत्र पर गौर नहीं किया है। सूचना पत्र पर आवेदकगण के नाम लिखें है, किन्तु सूचना पत्र प्राप्ति के हस्ताक्षर आवेदकगण नहीं है। न ही ऐसा कोई सूचना पत्र रिकार्ड में उपलब्ध है जिस पर लिखा हो कि आवेदकगण ने सूचना लेने से मना किया । इस प्रकार आवेदकगण को सूचना प्राप्त हुई ही नहीं है तो सूचना पत्र प्राप्त होना मानने का अधनीस्थ न्यायालय का निष्कर्ष रिकार्ड के विपरीत है। आवेदकगण ने अधीनस्थ कलेक्टर के न्यायालय में धारा 32 का आवेदन पेश कर यह निवेदन किया कि सीमांकन रिपोर्ट के साथ–साथ तहसीलदार, श्योपुर ने प्रतिवेदन दिया है, जिसमें समस्त प्रकार के अतिक्रमणों का ब्यौरा विस्तृत रूप से दिया है तथा आवेदकगण के सम्बध में प्रतिवेदन की कंडिका क्रमांक 5 में अतिक्रमण हटाने के कुछ विकल्प सुझाये है जिनमें आवेदकगण के स्वत्व की भूमि सर्वे 801/1 रकबा 9 विस्वा विनिमय समायोजन करना अथवा उसका मुआवजा आवेदकगण को अदा करने तथा विकल्पों पर विचार करके ही आवेदकगण का अतिक्रमण हटायां जाना उचित होगा, उल्लेखित किया गया था तथा तहसीलदार के प्रतिवेदन को अनुविभागीय अधिकारी, श्योपूर के पत्र क्रमांक क्यू/जांच/206 श्योपुर, दिनांक 23.08.06 से सी0एम0ओ0 नगरपालिका को प्रेषित किया गया, जिसमें भी तहसीलदार के प्रतिवेदन की कंडिका 5 में बताये गये विकल्पों पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने बावत निर्देश दिये गये कि बावत नगरपालिका, श्योपुर द्वारा अब तक की कार्यवाही का प्रतिवेदन आहूल किया जावे, किन्तु अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय ने इस आवेदन पत्र पर भी कोई विचार नहीं किया । प्रकरण में विधिवत न तो जांच ही की गई और न ही नाप ही विधिवत की गई है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थिर नहीं रखा जा-

सकता । अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया हैं ।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्के श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का भलीभांति परिशीलन किया गया । अधनीस्थ न्यायालय के आदेश के अध्ययन से प्रकट होता है कि शमशान भूमि के सर्वे क्रमांक 803/1, 80, 80, 815, एवं 817 का सीमांकन गठित दल के साथ दिनांक 13.08.2006 व 14.08.06 को मौके पर जाकर विधिवत किया गया, जिसमें शमशान की भूमि सर्वे नं0 803/1 रकबा 08 विस्वा शमशान एवं 803/2 रकबा 04 विस्वा अनवर हुसैन के नाम अभिलेख में दर्ज है लेकिन नक्शे में उक्त सर्वे नम्बर का रकबा लगभग 04 विस्वा है जो कि नक्शे में बन्दोबस्त के समय की त्रुटि है। इस सर्वे नम्बर में से 02 विस्वा शमशान की भूमि पर मोहम्मद सिद्धीक का अतिक्रमण पाया है। इसी प्रकार सर्वे न0 805 रकबा 01 बीघा 02 विस्वा में से 06 विस्वा भूमि शमशान पर गप्पूलाल राठौर का अतिक्रमण पाया है । सर्वे क्र0 806 रकबा 16 विस्वा शमशान की भूमि में से 04 विस्वा भूमि पर मोहम्मद सिद्धीक का अतिक्रमण तथा सर्वे नं0 815 रकबा 06 विस्वा शमशान भूमि खुली होकर वर्तमान में बस स्टैण्ड के रूप में उपयोग किया जा रहा है। सर्वे नं0 817 रकबा 17 विस्वा शमशान भूमि में से 72, 25/2 (त्रिभुजाकार) स्थिति में दुकाने बनाकर जैबुनिशा पत्नी अब्दुल गफूर एवं हरिओम पुत्र छोटेलाल मिततल एवं अजयसिंह पुत्र राजरतन जाट का कब्जा पाया गया है। सीमांकन से पूर्ण राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 श्योपुर द्वारा सूचना पत्र दिनांक 12.08.06 से पड़ौसियों को सूचना दी गई है। सूचना पत्र के क्रमांक 1 पर मो0 सिद्धीक एवं क्र0 . पर गप्पूलाल राठौर के साथ आवेदक क्र0 1 गजानन्द राठौर का नाम पटवारी अभिलेभ में संयुक्त खाता में अंकित है। इस प्रकार आवेदकगण का यह कहना गलत है कि सीमांकन के पूर्व उन्हें सूचना नहीं दी गई । सीमांकन के साथ फील्ड–बुक भी प्रस्तुत की गई है। सीमांकन के समक्षय पंचनामा भी तैयार किया गया है, जिस पर सीमांकन के समय उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। सीमांकन एक राजस्व निरीक्षक द्वारा न कर एक दल द्वारा किया गया है, जिसमें तीन राजस्व निरीक्षक एवं एक पटवारी मौजा सम्मिलित रहे। शमशान की भूमि निस्तार की आरक्षित भूमि है, जिस पर अतिक्रमण किया जाना कतई उचित नहीं है। आवेदकगण द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं डायवर्सन आदेश की प्रतियां भी प्रस्तुत नहीं किया

गया है। ऐसे में यह कैसे सिद्ध हो कि पूर्व निर्मित निर्माण उन्हीं के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि में किया है तथा किसी प्रकार की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। कलेक्टर, श्योपुर द्वारा एक अन्य प्रकरण क्रमांक 40/2005–06/निगरानी राजस्व में दिनांक 25.01.2007 को भी आदेश पारित किया जा चुका है, जिसमें यह उल्लेख किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण का अतिक्रमण है। कलेक्टर, श्योपुर ने इसी आधार पर तहसीलदार, श्योपुर एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, श्योपुर को सीमांकन अनुसार शमशान की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही यथाशीघ्र किये जाने के निर्देश दिये। मैं कलेक्टर, श्योपुर के द्वारा निकाले गये निष्कर्ष से सहमत हूँ।

6/ उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये, आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किया जाता है तथा कलेक्टर, श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–05–2007 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर